



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1939 (श0)

(सं0 पटना 89) पटना, शनिवार, 3 फरवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

3 फरवरी 2018

एस०ओ० 141, दिनांक 3 फरवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार गजट, असाधारण अंक, में संख्या 11, तारीख 02 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 5, तारीख 02 जनवरी, 2018 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करते हैं जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-1)-312)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

3 फरवरी 2018

एस०ओ० 141, दिनांक 3 फरवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-1)-312)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 3rd February 2018

S.O. 141, dated 3rd February 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby rescinds, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the notification of the Government of Bihar in the Commercial Taxes Department No. S.O 5, dated the 2nd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 11, dated the 2nd January, 2018.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-I) 312)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 89-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>